कार्यालय, जिला पंचायत,चन्दौली।

पत्रांक– 234 /जि0पं0चं0/2016–17 दिनांक– 21-7-16

कार्यालय ज्ञापः–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्दौली, मठवाली गली स्थित जिला पंचायत काम्प्लेक्स के उपर 42 दुकानों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसकी निविदा भी की जा चुकी है। निविदा की शर्तों के अनुसार उक्त दुकानों का निर्माण का भुगतान दुकानों पर जमा प्रिमियम की धनराशि से किया जाना है। उक्त दुकानों के निर्माण की अवधि आगामी छः माह है। प्रति दुकान प्रिमियम की धनराशि मु0–धनराशि मु0–250000.00 (दो लाख पचास हजार रू0) मात्र निर्धारित की गयी है तथा प्रति दुकान किराया मु0–500/– रू0 (पाच सौ रू0) मात्र प्रति माह निर्धारित किया गया है। दुकानों के प्रिमियम धनराशि जमा करने की अवधि दिनांक–23.07.2016 से दिनांक–23.09.2016 तक निर्धारित है। इच्छुक व्यक्ति/व्यापारी उक्त अवधि में जिला पंचायत, चन्दौली के कार्यालय में प्रिमियम की निर्धारित एकमुश्त धनराशि निर्धारित अवधि में नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति/व्यापारी 01 से अधिक दुकानों के लिए भी प्रिमियम की धनराशि जमा कर सकता है। एक ही दुकान पर यदि एक से अधिक व्यक्ति या व्यापारी प्रिमियम जमा करता है तो उनके बीच बोली लगवाकर उच्चतम बोलीदाता को दुकान आवंटित की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अन्य सूचना या जानकारी कार्यालय, जिला पंचायत, चन्दौली में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर ली जा सकती है।

नियम व शर्तेः–

1. दुकानों का क्रम संख्याकरण मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा नामित समिति द्वारा किया जायेगा।
2. दुकान पर कब्जा प्राप्त कराने के दिनांक से किराया का गणना किया जायेगा।
3. सम्बन्धित व्यक्ति/व्यापारी को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर दुकान आवंटन के पूर्व इकरारनामा इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के साथ कराने के उपरान्त ही आदेश व कब्जा दिया जायेगा।
4. विद्युत इत्यादि कनेक्शन की व्यवस्था व वहन व्यक्ति/व्यापारी द्वारा स्वयं किया जायेगा। दुकान में विभाग द्वारा केवल वायरिंग का कार्य किया जायेगा।
5. प्रत्येक तीन वर्ष पर जिला पंचायत, बोर्ड/अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा किराया में 25प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
6. दुकानों की प्रिमियम जमा करने के समय प्रत्येक व्यक्ति/व्यापारी को एक स्वयं के फोटो युक्त आवेदन–पत्र के साथ निवास–प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
7. जिला पंचायत, चन्दौली के मा0 अध्यक्ष/सदस्य व अधिकारीगण/कर्मचारीगण के सगे–सम्बन्धियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा।
8. शासन से स्वीकृति के पश्चात् ही दुकान आवंटन/कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी।

(विजयानन्द तिवारी)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, चन्दौली।

(अशोक कुमार मद्धेशिया)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।

(सरिता सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत,चन्दौली।

पृ0सं0– /जि0पं0चं0/2016–17 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2–जिलाधिकारी, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4–वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।
5–अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6–जिला पंचायत के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना एन0आई0सी0 के वेब–साइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8–विज्ञापन व्यवस्थापक, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला व राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि एक दिवस में अपने अगले अंक में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चन्दौली।